कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर (राजस्थान)

क्रमांकः स्था./2019/ दिनांकः 27-4-2019

विज्ञप्ति

उदयपुर न्यायक्षेत्र के न्यायालयों में वर्तमान में वाहन चालक के 02 पद रिक्त है। अतः विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.10(31)न्याय/2018 दिनांक 25 .मार्च 2019 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पृष्ठांकन क्रमांक G/IA-4(i)(a)47/18/1579 दिनांक 29-3-2019 के अनुसार उक्त रिक्त पदों पर संविदा पर सेवायें प्राथमिकता के क्रम में नियमित भर्ती होने तक के लिए अथवा दिनांक 31-3-2020 तक के लिए, जो भी पूर्ववर्ती हो, निम्न प्रकार ली जानी है :-

1- कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 10-2-2019 के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त कार्मिक।

2- विपरीत प्रतिनियुक्ति परं।

3- Rajasthan Ex Serviceman Corporation Ltd. (REXCO) के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। कर्मचारीगण का चयन उक्त वर्णित प्राथमिकता के क्रम में किया जायेगा।

Deputation or Reverse Deputation पर आने वाले कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

न्याय विभाग/राज्य सरकार के अन्य विभागों से ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है, वे कर्मचारीगण विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त दोनों संवर्गों की सेवायें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेंगी। उक्त सेवायें उदयपुर न्यायक्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायांलयों के रिक्त पदों के अनुसार ली जायेंगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर सेवायें देने के इच्छुक व्यक्ति दिनांक 13/5/2019 तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
उदयपुर

क्रमांकः 2019/5573 दिनांकः 27-4-2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्न को प्रेषित है :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश.................................. ।
3. जिला कलेक्टर, उदयपुर को समस्त विभागों/PSUs में सूचित करने हेतु।
4. उदयपुर न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु संबंधित न्यायालय ....
5. जनसम्पर्क अधिकारी, उदयपुर।
6. प्रबंधक, सैनिक सुरक्षा बल (रेक्सो) उदयपुर
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड, न्यायालय हाजा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
उदयपुर

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर (राजस्थान)

।। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा, पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये आवेदन प्रारूप।।

1.	सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम	:	....
2.	पिता/पति का नाम	:	....
3.	जन्मतिथि	:	....
4.	पता	:	....
5.	आयु (दिनांक.......................) को	:	....
6.	अर्हताएं	:	....
7.	मूल विभाग का नाम	:	....
8.	सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद	:	....
9.	अनुभव	:	....
10.	सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बेण्ड वेतन + ग्रेड पे) एलपीसी संलग्न है)	:	....
11.	मूल पेंशन राशि (पीपीओ प्रति संलग्न है)	:	....
12.	धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्त के समय)	:	....
13.	विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार है)	:	....

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्तक्षरी, राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिको के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्त के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :

दिनांक :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती..पुत्र/पत्नी..जो सेवानिवृत्ति से पूर्व..पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती..की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती.. रू. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती..अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती..के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नही है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

Scanned by CamScanner